बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

आदेश

मातृप्रेम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डुमरांव बक्सर को ई0आर0सी0, एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली के पत्रांक–66971, दिनांक 24.11.2022 द्वारा डी0एल0एड0 कोर्स हेतु प्रदत्त मान्यता वापस ले ली गयी थी। तत्पश्चात् समिति के आदेश ज्ञापांक–200, दिनांक 19.05.2023 द्वारा संस्थान के डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता को भी शैक्षणिक सत्र–2023–25 से वापस ले लिया गया था।

2. एन0सी0टी0ई0 के द्वारा निर्गत शो–काउज नोटिस एवं मान्यता वापसी संबंधी आदेश के विरूद्ध विभिन्न संस्थानों सहित इस संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में WP(C) 3194/23 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 17.03.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित न्यायादेश पारित किये गयेः–

In view of the aforesaid it is noted that in all these petitions the follow up action pursuant to public notice dated 22.09.2019 is under challenge. Since the legality with respect to public notice dated 22.09.2019 itself has been decided and the same has been set aside as a natural corollary, all action pursuant thereto deserved to be set aside.

In view of the aforesaid, impugned show cause notices issued to each of the petitioners and any action pursuant to issuance of the impugned show cause notice are hereby set aside.

Accordingly, the instant petitions stand disposed of with the aforesaid terms.

3. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एन0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर किया गया। इस अपील में दिनांक 16.05.2023 को निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः–

It is, therefore, directed that the petitioners–institutions be allowed to participate in the counseling process to be conducted for the Academic Year 2023-24.

The respondent no-1–NCTE is also directed to issue an order of restoration for the recognition of the petitioners-institutions within a period of two weeks from today and the same be also communicated to the affiliating university and to the Department of Higher Education.

No further directions are called for.

The applications stand disposed of.

4. उक्त न्यायादेश के आलोक में ई0आर0सी0, एन0सी0टी0ई0 द्वारा पत्रांक–68182, दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से संस्थान की मान्यता को पुनर्बहाल करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया हैः–

In compliance with the directions passed by the Hon'ble High Court of Delhi, ERC decided that the recognition granted to the institution for running D.El.Ed. Programme is hereby restored.

Order be issued and the affiliating University, Department of Higher Education and other concerned be informed accordingly.

5. उक्त आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 04.08.2023 को सम्पन्न अपनी बैठक में विषय सं0–18 के रूप में मातृप्रेम कॉलज ऑफ एजुकेशन, चिलहारी, पुराना भोजपुर, डुमरावं, बक्सर के डी0एल0एड0 कोर्स की समबद्धता को पुनर्बहाल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

6. समिति के निर्णय के आलोक में मातृप्रेम कॉलज ऑफ एजुकेशन, चिलहारी, पुराना भोजपुर, डुमरावं, बक्सर के डी0एल0एड0 कोर्स हेतु 02 बेसिक यूनिट (100 सीट) के लिए समिति के पत्रांक– टी0टी0प्रे0– 552 / 2018, दिनांक 03.05.2018 से प्रदत्त सम्बद्धता को शैक्षणिक सत्र–2023–25 से पुनर्बहाल किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(नील कमल)

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–220 / 22–..........., दिनांक ..../2023

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), जी0–7, सेक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली–110075 सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : सं0को0–02–220 / 22–..........., दिनांक ..../2023

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मातृप्रेम कॉलज ऑफ एजुकेशन, चिलहारी, पुराना भोजपुर, डुमरावं, बक्सर–802133 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–220 / 22–..........., दिनांक ..../2023

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–220 / 22–294, दिनांक 10/08/2023

प्रतिलिपिः–निदेशक (आई0टी0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे समिति के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

8/8/23

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

12/08/23